

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

सं. 24/19 ता. 08.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

श्रीमान पुत्र रामप्रसाद

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कुपूरा मल्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कुपूरा मल्का के खसरा नम्बर 765, 764, 763, 762 रकबा 0.15, 0.15, 0.14, 0.14 हेक्टर किस्म भूमि प्यारागाह पर सम्वत 2076 में श्री श्रीमान 56 रामप्रसाद मुक्ति राव कुपूरा मल्का तह0 बयाना ने 0.15, 0.15, 0.14, 0.14 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 765, 764, 763, 762 रकबा 0.15, 0.15, 0.14, 0.14 हेक्टर. वाके ग्राम कुपूरा मल्का से बेदखल किया जाता है। लगान 0.92 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 461 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी धसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श. नं. 28
दिनांक 4/2/20
निर्णय दिनांक 4/1/20

तहसीलदार
बयाना